

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मैसर्स रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा हैदरगढ-रामसनेहीघाट मार्ग (एम०डी०आर०-००३ सी) के किमी० संख्या-०९ (चैनेज संख्या-८.५२३) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या-१८५ ग्राम भीखरपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित ०.४८७३१२ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०९ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/१५६९०९/२०२२)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-पी-३४२/८१-२-२०२२-८००(३४५)/२०२२ दिनांक २८ अक्टूबर २०२२ के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी हस्ताक्षर
Date: 25-10-2022 14:54:38
Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।